न्यायालय ना० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

प्रकरण सं. 407/18 तारीख रजू. 15/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का [illegible] बनाम
गोली पुत्र रामखिलारी जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरपुर तहसील
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री गोली ने ग्राम सिकन्दरपुर को भूमि ख.न. 881 रकबा 0.25 किस्म चरागाह फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20 74 में गेहूं कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब मे उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 881 रकबा 0.25 किस्म चरागाह वाके ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.00 ~~50~~ गुणा 250 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर [illegible] 112 पर
वर्ष 2017-18 [illegible]
की [illegible] 250 रु.
की [illegible]
दिनांक 12/3/18 [illegible] लेखाकार
तहसील-महवा